संख्या:20/2017/640जेएल/22-3-17-100(13)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2017***

विषय: जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रामवीर उर्फ मिक्की पुत्र श्री अरविन्द सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को उपचार हेतु जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7480/सामा-1(3)/फतेहगढ़ मं0/2017, दिनांक 10-03-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रामवीर उर्फ मिक्की पुत्र श्री अरविन्द सिंह को उपचार हेतु जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी एवं बंदी का उपचार के0जी0एम0यू0 लखनऊ में पूर्ण होने के उपरान्त उसे पुन: जिला कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:20/2017/640जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़/लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in